रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268192
SG-DL-E-03122025-268192

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 356
No. 369] DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947 [N. C. T. D. No. 356

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 21/2024-राज्य कर

फा.सं. 3(35)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1153.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (उक्त अधिनियम) की धारा 128ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद् द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट संबंधित तिथि को उस तिथि के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना, या विवरण, या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, जैसा भी मामला हो, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थातः—

तालिका

क्र0सं0	पंजीकृत व्यक्ति का वर्ग	वह तिथि जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या विवरण या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, जैसा भी मामला हो, उक्त धारा के अन्तर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या विवरण या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	पंजीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, तथा अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, धारा 75 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण हेतु आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यह मानते हुए कि नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया था।	उक्त अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत कर का पुर्ननिर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से छः माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तिथि।

2. यह अधिसूचना 01 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2025

No. 21/2024-State Tax

F.No. 3(35)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1153.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in Column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:–

TABLE

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025
2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer redetermining tax under section 73 of the said Act.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of November, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.03 15:58:28 +05'30'